न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–113/2016

CIS No.-TS 215/2019

हाशिम गद्दी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 गौदम देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 27.08.2025 अंदर आदेश 22 नियम 03 वो दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा 22.11.2025 को दाखिल किया गया। वादीगण का आवेदन दिनांक 27.08.2025 आज दिनांक 23.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 हाशिम गद्दी की मृत्यु दिनांक 04.04.2025 को हो गई है। हाशिम गद्दी अपने पीछे अपने विधिक वारिशान के रूप में चार पुत्रों तथा दो पुत्रियों को छोड़कर स्वर्गवास कर चुके है। हाशिम गद्दी की पत्नी आसबानी खातून अपने पति के जीवन काल में ही स्वर्गवास कर चुकी थी। लिहाजा हाशिम का नाम नालिश के मुदई खाने से काटकर हटाते हुए उनके दो पुत्रिशें तेतर खातून और नेतर खातून को उनके स्थान पर पक्षकार बना देना जरूरी है। मृत वादी सं0–01 के चार पुत्र पहले से ही इस वाद में वादी सं0–02 ता 05 है। उपरोक्त परिस्थिति में प्रतिस्थापना की कार्रवाई महज औपचारिक है तथा प्रतिस्थापना कानून का पालन करने के लिए जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी सं0–01 हाशिम गद्दी का नाम नालिश के वादी खाने से कलमजद करके उनके स्थान	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–113/2016

CIS No.-TS 215/2019

हाशिम गद्दी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 गौदम देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 23.03.2026	पर उनके वारिशानों में शेष बचे वारिश को पक्षकार बनाने का आदेश देने की कृपा किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन दिनांक 27.08.2025 का प्रतिउत्तर दिनांक 22.11.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि मुदई का आवेदन पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज के लायक है। मुदई के आवेदन से ही जाहिर है कि मुदई सं0–01 की मृत्यु दिनांक 04.04.2025 को हुई है लेकिन मुदई के द्वारा मुदई सं0–01 के मृत्यु के लगभग चार माह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद प्रतिस्थापना का आवेदन दिया गया है जो खारिज के लायक है। मुदई के द्वारा प्रतिस्थापना काफी देरी से दिया गया है लेकिन देरी से आवेदन देने का उचित कारण नहीं दर्शाया गया है और न देरी को माफ करने का कोई आवेदन दिया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण के द्वारा एक आवेदन दिनांक 27.08.2025 को अंदर आदेश 22 नियम 03 वो दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया तथा निवेदन किया है कि वादी सं0–01 हाशिम गद्दी की मृत्यु दिनांक 04.04.2025 को हो गई है। हाशिम गद्दी	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–113/2016</u>

<u>CIS No.-TS 215/2019</u>

हाशिम गद्दी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 गौदम देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 23.03.2026	का नाम नालिश के वादी खाने से कलमजद करके उनके स्थान पर उनके वारिशानों में शेष बचे वारिश को पक्षकार बनाने का आदेश देने की कृपा किया जाए। दूसरी ओर प्रतिवादीगण ने आवेदन में विलम्ब के आधार पर वादीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण का आवेदन समय–सीमा के अंदर नहीं है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 27.08.2025 को मो0–200/– रू0 हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है एवं वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र से वादी सं0–01 हाशिम गद्दी का नाम विलोपित करते हुए उनके शेष विधिक वारिशानों का नाम प्रतिस्थापित करें। आगामी दिनांक 06.05.2026 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	